

जिला मुख्यालय सीहोर एवं तहसील मुख्यालय आष्टा में केन्टीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि जिला मुख्यालय सीहोर एवं तहसील मुख्यालय आष्टा में स्थित केन्टीन एवं वाहन स्टैण्ड हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना है।

1. जिला मुख्यालय सीहोर में वाहन स्टैण्ड किराया राशि न्यूनतम 17,490 /— रुपये मात्र प्रतिमाह है।
2. जिला मुख्यालय सीहोर में केन्टीन किराया राशि न्यूनतम 16,665 /— रुपये मात्र प्रतिमाह है।
3. तहसील मुख्यालय आष्टा में वाहन स्टैण्ड किराया राशि न्यूनतम 4,400 /— रुपये मात्र प्रतिमाह है।
4. तहसील मुख्यालय आष्टा में केन्टीन किराया राशि न्यूनतम 27,501 /— रुपये मात्र प्रतिमाह है।

निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 17-04-26 की शाम 05.00 बजे तक निविदा निर्धारित शुल्क जमा कर जिला नाजिर, नजारत अनुविभाग, सीहोर से प्राप्त कर सकते हैं।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय एवं अभिभाषक संघ सीहोर/आष्टा के नोटिस बोर्ड एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।


प्रमारी अधिकारी,
नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय,
जिला-सीहोर, (म.प्र.)

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर, (म.प्र.)

E-mail-dcourtseh-mp@nic.in, Contact No.07562-292221, Fax-225698

// निविदा आमंत्रण सूचना //

—: निविदा फार्म :—

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम _____

मोबाईल क्रमांक _____

किस स्थान पर केन्टीन का
संचालन करना चाहते हैं।

सीहोर

द्वितीय पक्ष :

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

जिला न्यायालय परिसर सीहोर स्थित केन्टीन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्थाओं से निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :—

केंटीन एवं वाहन स्टेण्ड हेतु सामान्य शर्तें:—

1. उक्त केंटीन एवं वाहन स्टेण्ड संचालन की अवधि एक अप्रैल/आवंटन दिनांक जो भी बाद में हो से 31 मार्च तक रहेगी।
2. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ प्रत्येक केंटीन एवं प्रत्येक वाहन स्टेण्ड हेतु राशि रु. 10,000/— (रु. दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से नजारत अनुविभाग, सीहोर में जमा कराया जाना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।
3. निविदा स्वीकृति उपरांत टेंडर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जावेगी।
4. प्रत्येक निविदा फार्म के साथ केन्टीन एवं वाहन स्टेण्ड हेतु पृथक-पृथक निविदा शुल्क के रूप में रुपये 500/— नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय, सीहोर में चालान के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क के निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त निविदा शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को उक्त आवंटित स्थान को परिवर्तित कर अन्य स्थान आवंटित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित शर्तों के संबंध में निविदाकर्ता को अनुबंध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के पक्ष में उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादित करवाना होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी जिस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8. केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन अवधि में कैलेण्डर माह के नियत शनिवार एवं रविवार के दिवसों के अतिरिक्त निरंतर दो दिवस से अधिक अवकाश हो तो, अनुबंध अनुसार प्रतिदिन हेतु नियत राशि की छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
9. निविदाकर्ता एवं उसके कर्मचारी ग्राहकों के साथ नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेंगे।
10. केन्टीन/साईकिल स्टैण्ड की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता पुनः केन्टीन का संचालन करना चाहता है तो निविदा प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक नवीन निविदाकर्ता को टेण्डर प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत की राशि बढ़ाकर आगामी अवधि तक संचालित कर सकता है।
11. निविदाएं कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेंगी एवं निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-04-26 नियत की जाती है तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 20-04-26 को सायंकाल 05:00 बजे छानबीन समिति, सीहोर द्वारा खोली जावेगी जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

केंटीन संचालन हेतु निर्धारित शर्तें:-

1. जिला न्यायालय सीहोर स्थित केंटीन का क्षेत्रफल लगभग 20X30 फीट जिसमें पक्का निर्माण (टीनशेड) जिसमें लगभग 8X8 फीट का स्टोर रूम सम्मिलित है। निविदाकर्ता उक्त स्थान का कार्यालय समय में अवलोकन कर सकते हैं।
2. केंटीन संचालन हेतु निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित पेय/खाद्य सामग्री की विक्रय दर प्रस्तावित करना अनिवार्य है। प्रस्तावित विक्रय दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं उक्त दर आवंटन अवधि के लिए निर्धारित होगी। उक्त विक्रय योग्य पेय/खाद्य सामग्री मानक स्तर की विक्रय की जायेगी।
3. निविदाकर्ता केन्टीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं की जावेगी। यदि केन्टीन संचालन में अस्थायी निर्माण की आवश्यकता हो पर प्रस्तावित निर्माण की स्थिति दर्शाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा।
4. निविदाकर्ता केन्टीन संचालन हेतु विद्युत संयोजन पृथक से प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत व्यय का भुगतान स्वयं करेगा।
5. निविदाकर्ता केन्टीन/दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर पालिका परिषद से दुकान एवं संस्थापना के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।
6. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें केन्टीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा।
7. निविदाकर्ता केन्टीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ एवं साफ रखेगा अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर अथवा उनके द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ता के द्वारा रुपये 100/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
8. केन्टीन में किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धुम्रपान (पान, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

9. निविदाकर्ता केंटीन का संचालन कार्य दिवस में तथा समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही विशेष अवसरो (लोक अदालत आदि) पर केन्टीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अवकाश के दिनों में केन्टीन बंद रहेगी।
10. केन्टीन के संचालन में पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था निविदाकर्ता द्वारा स्वयं की जावेगी।
11. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी एवं अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर केन्टीन/खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया जा सकेगा।
13. केन्टीन के संचालन अथवा नीलामी की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के द्वारा किया जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. केन्टीन सामान्यतः कार्य दिवस में प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 06.00 बजे तक ही संचालित की जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा एवं अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्णतः पालन करना होगा।
15. केन्टीन में बाल श्रमिक प्रतिबंधित रहेंगे।

मध्यस्थता:-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार को कोई प्रश्न, दावा, अधिकारी, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन में विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "अ" में वर्णित पेय/खाद्य सामग्री की विक्रय दर

कं	सामग्री का नाम	मात्रा	दर
1	चाय(1 कप)	150 ml	
2	चाय (डिप)	150 ml	
3	कॉफी (1 कप)	150 ml	
4	सॉफ्ट ड्रिंक	200 ml/300ml/500ml	
5	बिस्टिक (ब्रिटानिया / पारले / मैरी गोल्ड / बोरबोन आदि)	01 Nos	
6	समोसा (1 नग)	01 Nos	
7	कचौड़ी (2 नग)	01 Nos	
8	ब्रेड पकोडा (बडी ब्रेड स्टाफ)	01 Nos	
9	आलू बडा	01 Nos	
10	गुलाब जामुन	01 Nos	
11	वेफर / चॉकलेट आदि	01 Nos	
12	मिनिरल वॉटर (बिसलरी, एक्वाफाईन, किनली)	01 ltr.	
13	मिनिरल वॉटर (बिसलरी, एक्वाफाईन, किनली)	1 / 2 ltr.	

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर, (म.प्र.)

E-mail-dcourtseh-mp@nic.in, Contact No.07562-292221, Fax-225698

// निविद आमंत्रण सूचना //

—: निविदा फार्म :—

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम

मोबाईल क्रमांक _____

किस स्थान पर वाहन स्टैण्ड
का संचालन करना चाहते हैं।

सीहोर

द्वितीय पक्ष :

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

जिला न्यायालय परिसर सीहोर स्थित वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्थाओं से निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :—

केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड हेतु सामान्य शर्तें:—

1. उक्त केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन की अवधि एक अप्रैल/आवंटन दिनांक जो भी बाद में हो से 31 मार्च तक रहेगी।
2. निविदकर्ता को निविदा फार्म के साथ प्रत्येक केंटीन एवं प्रत्येक वाहन स्टैण्ड हेतु राशि रु. 10,000/— (रु. दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से नजारत अनुविभाग, सीहोर में जमा कराया जाना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।
3. निविदा स्वीकृति उपरांत टेंडर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जावेगी।
4. प्रत्येक निविदा फार्म के साथ केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड हेतु पृथक-पृथक निविदा शुल्क के रूप में रुपये 500/— नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय, सीहोर में चालान के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क के निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त निविदा शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को उक्त आवंटित स्थान को परिवर्तित कर अन्य स्थान आवंटित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित शर्तों के संबंध में निविदाकर्ता को अनुबंध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के पक्ष में उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादित करवाना होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी जिस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8. केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन अवधि में कैलेण्डर माह के नियत शनिवार एवं रविवार के दिवसों के अतिरिक्त निरंतर दो दिवस से अधिक अवकाश हो तो, अनुबंध अनुसार प्रतिदिन हेतु नियत राशि की छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
9. निविदाकर्ता एवं उसके कर्मचारी ग्राहकों के साथ नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेंगे।
10. केन्टीन/वाहन स्टैण्ड की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता पुनः केन्टीन/वाहन स्टैण्ड का संचालन करना चाहता है तो निविदा प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक नवीन निविदाकर्ता को टेण्डर प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत की राशि बढ़ाकर आगामी अवधि तक संचालित कर सकता है।
11. निविदाएं कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेगी एवं निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-04-26 नियत की जाती है तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 20-04-26 को सायंकाल 05.00 बजे छानबीन समिति, सीहोर द्वारा खोली जावेगी जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निर्धारित शर्तें:-

1. जिला न्यायालय, सीहोर के वाहन स्टैण्ड का क्षेत्रफल लगभग 10X100 फीट है। निविदाकर्ता उक्त स्थान का कार्यालय समय में अवलोकन कर सकते हैं।
2. वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट "ब" में वाहन के शुल्क के संबंध में दर प्रस्तावित करना अनिवार्य है। प्रस्तावित दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं उक्त दर आवंटन अवधि के लिए निर्धारित होगी।
3. वाहन की सुरक्षा एवं स्टैण्ड पर रखे जाने वाले वाहनों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा।
4. वाहन पार्किंग स्टैण्ड पर किराया दर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
5. दिव्यांगजन के ट्राईसाईकल या ऐसी ही विशेष वाहन निशुल्क रहेंगे।

मध्यस्थता:-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार को कोई प्रश्न, दावा, अधिकारी, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन में विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "ब" में वाहन के शुल्क के संबंध में दर

क्रं	सामग्री का नाम	दर
1	साईकिल	
2	मोटर साईकिल	
3	चार पहिया वाहन	

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर, (म.प्र.)

E-mail-dcourtseh-mp@nic.in, Contact No.07562-292221, Fax-225698

// निविदा आमंत्रण सूचना //

—: निविदा फार्म :—

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम

मोबाईल क्रमांक _____

किस स्थान पर केंटीन का
संचालन करना चाहते हैं।

आष्टा, जिला सीहोर

द्वितीय पक्ष :

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

तहसील न्यायालय परिसर आष्टा, जिला सीहोर स्थित केंटीन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्थाओं से निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :—

केंटीन एवं वाहन स्टेण्ड हेतु सामान्य शर्तें:—

1. उक्त केंटीन एवं वाहन स्टेण्ड संचालन की अवधि एक अप्रैल/आवंटन दिनांक जो भी बाद में हो से 31 मार्च तक रहेगी।
2. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ प्रत्येक केंटीन एवं प्रत्येक वाहन स्टेण्ड हेतु राशि रु. 10,000/— (रु. दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से नजारत अनुविभाग, सीहोर में जमा कराया जाना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।
3. निविदा स्वीकृति उपरांत टेंडर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जावेगी।
4. प्रत्येक निविदा फार्म के साथ केंटीन एवं वाहन स्टेण्ड हेतु पृथक-पृथक निविदा शुल्क के रूप में रुपये 500/— नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय, सीहोर में चालान के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क के निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त निविदा शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को उक्त आवंटित स्थान को परिवर्तित कर अन्य स्थान आवंटित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित शर्तों के संबंध में निविदाकर्ता को अनुबंध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के पक्ष में उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादित करवाना होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी जिस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8. केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन अवधि में कैलेण्डर माह के नियत शनिवार एवं रविवार के दिवसों के अतिरिक्त निरंतर दो दिवस से अधिक अवकाश हो तो, अनुबंध अनुसार प्रतिदिन हेतु नियत राशि की छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
9. निविदाकर्ता एवं उसके कर्मचारी ग्राहकों के साथ नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेंगे।
10. केन्टीन/साईकिल स्टैण्ड की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता पुनः केन्टीन का संचालन करना चाहता है तो निविदा प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक नवीन निविदाकर्ता को टेण्डर प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत की राशि बढ़ाकर आगामी अवधि तक संचालित कर सकता है।
11. निविदाएं कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेगी एवं निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-04-26 नियत की जाती है तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 20-04-26 को सायंकाल 5.00 बजे छानबीन समिति, सीहोर द्वारा खोली जावेगी जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

केंटीन संचालन हेतु निर्धारित शर्तें:-

1. तहसील न्यायालय आष्टा जिला सीहोर स्थित केन्टीन जिसका क्षेत्रफल लगभग 20X20 फीट जिसमें पक्का निर्माण (टीनशेड) जिसमें लगभग 8X8 फीट का स्टोर रूम सम्मिलित है। निविदाकर्ता उक्त स्थान का कार्यालयीन समय में अवलोकन कर सकते हैं।
2. केंटीन संचालन हेतु निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित पेय/खाद्य सामग्री की विक्रय दर प्रस्तावित करना अनिवार्य है। प्रस्तावित विक्रय दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं उक्त दर आवंटन अवधि के लिए निर्धारित होगी। उक्त विक्रय योग्य पेय/खाद्य सामग्री मानक स्तर की विक्रय की जायेगी।
3. निविदाकर्ता केन्टीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं की जावेगी। यदि केन्टीन संचालन में अस्थायी निर्माण की आवश्यकता हो पर प्रस्तावित निर्माण की स्थिति दर्शाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा।
4. निविदाकर्ता केन्टीन संचालन हेतु विद्युत संयोजन पृथक से प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत व्यय का भुगतान स्वयं करेगा।
5. निविदाकर्ता केन्टीन/दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर पालिका परिषद से दुकान एवं संस्थापना के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।
6. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें केन्टीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा।
7. निविदाकर्ता केन्टीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ एवं साफ रखेगा अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर अथवा उनके द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ता के द्वारा रुपये 100/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
8. केन्टीन में किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धुम्रपान (पान, तम्बाकू, बीडी. सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

9. निविदाकर्ता केंटीन का संचालन कार्य दिवस में तथा समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही विशेष अवसरो (लोक अदालत आदि) पर केन्टीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अवकाश के दिनों में केन्टीन बंद रहेगी।
10. केन्टीन के संचालन में पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था निविदाकर्ता द्वारा स्वयं की जावेगी।
11. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी एवं अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर केन्टीन/खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया जा सकेगा।
13. केन्टीन के संचालन अथवा नीलामी की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के द्वारा किया जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. केन्टीन सामान्यतः कार्य दिवस में प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 06.00 बजे तक ही संचालित की जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा एवं अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्णतः पालन करना होगा।
15. केन्टीन में बाल श्रमिक प्रतिबंधित रहेंगे।

मध्यस्थता:-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार को कोई प्रश्न, दावा, अधिकारी, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन में विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "अ" में वर्णित पेय/खाद्य सामग्री की विक्रय दर

कं	सामग्री का नाम	मात्रा	दर
1	चाय(1 कप)	150 ml	
2	चाय (डिप)	150 ml	
3	कॉफी (1 कप)	150 ml	
4	सॉफ्ट ड्रिंक	200 ml/300ml/500ml	
5	बिस्टिक (ब्रिटानिया/पारले/मैरी गोल्ड/बोरबोन आदि)	01 Nos	
6	समोसा (1 नग)	01 Nos	
7	कचौड़ी (2 नग)	01 Nos	
8	ब्रेड पकोडा (बडी ब्रेड स्टाफ)	01 Nos	
9	आलू बडा	01 Nos	
10	गुलाब जामुन	01 Nos	
11	वेफर/चॉकलेट आदि	01 Nos	
12	मिनिरल वॉटर (बिसलरी, एक्वाफाईन, किनली)	01 ltr.	
13	मिनिरल वॉटर (बिसलरी, एक्वाफाईन, किनली)	1/2 ltr.	

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर, (म.प्र.)

E-mail-dcourtseh-mp@nic.in, Contact No.07562-292221, Fax-225698

// निविदा आमंत्रण सूचना //

—: निविदा फार्म —:

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम

मोबाईल क्रमांक _____

किस स्थान पर वाहन स्टैण्ड
का संचालन करना चाहते हैं।

आष्टा, जिला सीहोर

द्वितीय पक्ष :

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

तहसील न्यायालय परिसर आष्टा, जिला सीहोर स्थित वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्थाओं से निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड हेतु सामान्य शर्त:-

1. उक्त केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन की अवधि एक अप्रैल/आवंटन दिनांक जो भी बाद में हो से 31 मार्च तक रहेगी।
2. निविदकर्ता को निविदा फार्म के साथ प्रत्येक केंटीन एवं प्रत्येक वाहन स्टैण्ड हेतु राशि रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से नजारत अनुविभाग, सीहोर में जमा कराया जाना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।
3. निविदा स्वीकृति उपरांत टेंडर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जावेगी।
4. प्रत्येक निविदा फार्म के साथ केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड हेतु पृथक-पृथक निविदा शुल्क के रूप में रुपये 500/- नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय, सीहोर में चालान के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क के निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त निविदा शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को उक्त आवंटित स्थान को परिवर्तित कर अन्य स्थान आवंटित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित शर्तों के संबंध में निविदाकर्ता को अनुबंध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के पक्ष में उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादित करवाना होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी जिस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8. केंटीन एवं वाहन स्टैण्ड संचालन अवधि में कैलेण्डर माह के नियत शनिवार एवं रविवार के दिवसों के अतिरिक्त निरंतर दो दिवस से अधिक अवकाश हो तो, अनुबंध अनुसार प्रतिदिन हेतु नियत राशि की छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
9. निविदाकर्ता एवं उसके कर्मचारी ग्राहकों के साथ नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेंगे।
10. केन्टीन/वाहन स्टैण्ड की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता पुनः केन्टीन का संचालन करना चाहता है तो निविदा प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक नवीन निविदाकर्ता को टेण्डर प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत की राशि बढ़ाकर आगामी अवधि तक संचालित कर सकता है।
11. निविदाएं कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेंगी एवं निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-04-26 नियत की जाती है तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 20-04-26 को सायंकाल 5.00 बजे छानबीन समिति, सीहोर द्वारा खोली जावेगी जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निर्धारित शर्तें:-

1. तहसील न्यायालय आष्टा जिला सीहोर के वाहन स्टैण्ड का क्षेत्रफल लगभग 10X100 फीट हैं। निविदाकर्ता उक्त स्थान का कार्यालयीन समय में अवलोकन कर सकते हैं।
2. वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट "ब" में वाहन के शुल्क के संबंध में दर प्रस्तावित करना अनिवार्य है। प्रस्तावित दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं उक्त दर आवंटन अवधि के लिए निर्धारित होगी।
3. वाहन की सुरक्षा एवं स्टैण्ड पर रखे जाने वाले वाहनों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा।
4. वाहन पार्किंग स्टैण्ड पर किराया दर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
5. दिव्यांगजन के ट्राईसाईकल या ऐसी ही विशेष वाहन निशुल्क रहेंगे।

मध्यस्थता:-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार को कोई प्रश्न, दावा, अधिकारी, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन में विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "ब" में वाहन के शुल्क के संबंध में दर

क्रं	सामग्री का नाम	दर
1	साईकिल	
2	मोटर साईकिल	
3	चार पहिया वाहन	